

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**

: आदेश :


संख्या-9/पद-05-02/2007(खण्ड), सा0प्र0 13362/पटना-15 दिनांक 25.9.19

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय अशुलिपिक सेवा के निम्नांकित कर्मियों को दिनांक 04.10.2019 से 09.10.2019 तक दुर्गा पूजा के अवकाश में मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्य व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन हेतु मुख्यमंत्री सचिवालय में निम्न विवरणी के अनुसार प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र0	नाम	पदनाम	विभाग/कार्यालय का नाम
1	श्री महेशचन्द्र चौधरी	प्रधान आप्त सचिव	शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
2	श्री मो0 मासूम आजम करीम	प्रधान आप्त सचिव	मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना
3	श्री मो0 रिजवान	आप्त सचिव	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
4	श्री उमैर अहमद	आप्त सचिव	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
5	श्री मो0 सज्जाद हुसैन	आप्त सचिव	शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
6	श्री सुनील कुमार	आप्त सचिव	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
7	श्री दुर्गा नारायण	आप्त सचिव	पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
8	श्री हरिशंकर कुमार	आप्त सचिव	गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना
9	श्री मो0 फिरोज आलम	आप्त सचिव	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना ।
10	श्री राकेश कुमार	आशुलिपिक	अनु0 जाति आयोग, बिहार, पटना
11	श्री राजा कुमार	आशुलिपिक	बिहार, राज्य खाद्य आयोग, पटना
12	श्री उगेन कुमार	आशुलिपिक	राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

2. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त कर्मी दिनांक 27.09.2019 तक निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त कर्मियों को वित्त विभाग के परिपत्र सं0- 10281 दिनांक 27.09.1973 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान के आलोक में क्षतिपूरक छुट्टी का लाभ अनुमान्य होगा।

  
 (शिवमहादेव प्रसाद)  
 सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-9/पद-05-02/2007(खण्ड), सा0प्र0 13362/पटना-15 दिनांक 25.9.19

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/सामान्य प्रशासन विभाग/ शिक्षा विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/ गन्ना उद्योग विभाग/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ अनुसूचित जाति आयोग/ बिहार, राज्य खाद्य आयोग/ राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आक्षयक कार्यार्थ प्रेषित।

  
 सरकार के अवर सचिव।